14.3.18 पत्रावली पेश इति वकील वादी हाजिर। वास्ते साक्षवादी दिनांक 29-6-2018 को पेश हो।

7.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके दर 2018 केम्प सिन्दूर मे प्रस्तुत हुई। वादी मय अधिवक्ता हाजिर। हाजिर होकर साक्षवादी मे शपथ पत्र फूला का प्रस्तुत किया जो रेकार्ड पर लिया जाता है। गवाह सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। स्थलीय निरीक्षण का अवलोकन किया। वादी की स्वीकारोक्ति आराजियात पर प्रतिवादी का कब्जा पंचसरपंच मौका पंचों के लिए होता है। प्रतिवादी के विपक्ष पूर्व मे छेड़छाड़ की कार्रवाई की जा चुकी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर निर्णय लिया जाता है कि मौजा बजारिया स्थित प० ह० सिन्दूर तहसील रूपगढ़ की आ०क० 1417/1212 रकबा 0.13 हे., आ०क० 1418/1213 रकबा 0.09 हे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 हे. के प्रतिवादी से कब्जा हटवा पाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादी की आराजियात मे पक्षकार प्रवेश नही करे, लड़ाई झगड़ा नही करे। प्रतिवादी स्वयं सेवा करे या गैर कब्जेदार के रूप मे। अन्तिम पंचों किसी पार्टी के। पंचों परमात्मा अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official